[2021] 8 एस. सी. आर 797

तवा फसल

वी.

भारत का संघ

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1302)

28 अक्टूबर, 2021

[अजय रस्तोगी और अभय एस. ओका, जे. जे.]

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967: जमानत देते समय विचार के लिए कारक-जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय

एक अभियुक्त द्वारा दायर किया गया जिसके खिलाफ 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया है, न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि -

अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है-यदि न्यायालय रिकॉर्ड पर सामग्री की जांच करने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है, तो अभियुक्त जमानत का हकदार है-इस प्रकार, जांच का दायरा यह तय करना है कि अपराध करने वाले अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है या नहीं।

अध्याय IV और VI के तहत अभिकथित-यह विश्वास करने के लिए आधार कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है

उचित आधार-तथापि, न्यायालय धाराओं की उप-धारा (5) द्वारा अपेक्षित प्रथम दृष्टया मामले के मुद्दे की जांच करते समय। 43 डी से लघु परीक्षण आयोजित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है-न्यायालय से साक्ष्य के गुण-दोष की जांच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है-यदि कोई आरोप पत्र पहले से ही है।

दायर किए जाने पर, न्यायालय को इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए आरोप पत्र का एक हिस्सा बनाने वाली सामग्री की जांच करनी होती है कि क्या यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम है

प्रत्यक्षतः सत्य-ऐसा करते समय, न्यायालय को आरोप पत्र में सामग्री को जैसा है वैसा ही लेना पड़ता है। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967: एन. आई. ए. मामलों के लिए विशेष अदालत द्वारा अभियुक्त नं. 1 और 2-चुनौती

एस. एस. के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी 1 से 3 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। 20 , 38 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 39-जांच एन. आई. ए. अधिनियम के तहत स्थापित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन. आई. ए.) को हस्तांतरित कर दी गई थी-अभियुक्त नं. 3 फरार था-एन. आई. ए. द्वारा अभियुक्त नं. 1 और एसएस के तहत 2। 38 और 1967 के अधिनियम के साथ-साथ धारा 39 के तहत।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

120 - बी आई. पी. सी.-विशेष अदालत ने आरोपी नं. 1 और 2-राज्य की अपील पर, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त नं. 2 अभियुक्त नं. को दी गई जमानत को बरकरार रखते हुए। 1 अतः अभियुक्त सं. द्वारा तत्काल अपील। 2 साथ ही राज्य द्वारा-आयोजितः केवल एक आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ाव एस को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 38 और केवल एक आतंकवादी संगठन को दिया गया समर्थन एस को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 39 - संगठन और समर्थन किसी आतंकवादी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से होना चाहिए

संगठन-किसी दिए गए मामले में, इस तरह के इरादे का अनुमान आतंकवादी संगठन की गतिविधियों में आरोपी के खुले कृत्यों या सक्रिय भागीदारी के कृत्यों से लगाया जा सकता है जो आरोप पत्र का हिस्सा बनने वाली सामग्री से उत्पन्न होते हैं-प्रारंभिक कम उम्र में, आरोपी संख्या। 1 और 2 सीपीआई (माओवादी) द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है उससे मोहित हो सकते हैं-इसलिए, उनके पास सीपीआई (माओवादी) से संबंधित विभिन्न दस्तावेज/पुस्तकें नरम या कठोर रूप में हो सकती हैं-इस आरोप के अलावा कि कुछ तस्वीरों से पता चलता है कि आरोपी ने कथित रूप से सीपीआई (माओवादी) से जुड़े संगठन द्वारा आयोजित विरोध/सभा में भाग लिया था, प्रथम दृष्टया आरोप पत्र में सीपीआई (माओवादी) की गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी को पेश करने के लिए कोई सामग्री नहीं है-विशेष अदालत का आदेश जिसमें आरोपी नं. 2 पुनर्स्थापित किया जाता है।

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967: s.43D-धाराओं की उप-धारा (5) द्वारा विचार किए गए प्रथम दृष्टया मामले के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए। 43 डी, दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मामला केवल एस. एस. के तहत है। 38 और 39 पर विचार करने की आवश्यकता है-मंजूरी के अभाव और इस तथ्य को देखते हुए कि एन. आई. ए. ने एस. के तहत दंडनीय अपराध के लिए मंजूरी भी नहीं मांगी थी। 20 , अभियुक्त के उक्त अपराध में शामिल होने का प्रथम दृष्टया मामला इस स्तर पर सामने नहीं आया है -

एस की उप-धारा (5)। 43 डी एस पर लागू नहीं होगा। 13 , एस के रूप में। 13 इसे 1967 के अधिनियम के अध्याय III में शामिल किया गया है।

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967: s.43D-धाराओं की उप-धारा (5) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। 43 डी प्रति से नहीं रोकता है

संविधान के भाग III के उल्लंघन के आधार पर जमानत देने से संवैधानिक न्यायालय।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 2 का खंड (एम) "आतंकवादी संगठन" को परिभाषित करता है।

यह थवाह फसल वी है। भारत का संघ

पहली अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन के रूप में परिभाषित। सी. पी. आई. (माओवादी) को आइटम नं. 34 पहली अनुसूची में। 1967 के अधिनियम के तीसरे अध्याय में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है।

अपराध। अध्याय IV का शीर्षक "आतंकवादी कृत्य के लिए सजा" है। धारा 2 के खंड (के) में प्रावधान है कि "आतंकवादी कृत्य" का अर्थ धारा 15 के तहत दिया गया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। 1 और 2 किसी भी आतंकवादी कार्य को करने का। धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध तब होता है जब आरोपी किसी आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन का सदस्य होता है जो आतंकवादी कृत्य में शामिल होता है। धारा 20 को तब तक आकर्षित नहीं किया जाता है जब तक कि आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन जिसका आरोपी सदस्य है, धारा 15 द्वारा परिभाषित आतंकवादी कृत्य में शामिल न हो। [पैरा 8,10] [815-सी-ई; 816-जी; 818-सी-डी]

1.2 धारा 38 के स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, उसमें दंडनीय अपराध को आकर्षित किया जाएगा यदि अभियुक्त स्वयं सहयोगी है या

खुद को एक आतंकवादी संगठन से जोड़ने का दावा करता है अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से पहली अनुसूची में शामिल किया गया। ऐसे मामले में, वह धारा 38 के अंतर्गत आने वाले आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध करता है। व्यक्ति।

धारा 38 के तहत अपराध करना किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य हो सकता है या वह सदस्य नहीं भी हो सकता है। यदि अभियुक्त आतंकवादी संगठन का सदस्य है जो धारा 15 के अंतर्गत आने वाले आतंकवादी कृत्य में लिप्त है, तो धारा 20 के तहत कठोर अपराध किया जा सकता है। यदि अभियुक्त किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित धारा 38 के तहत दंडनीय अपराध केवल तभी आकर्षित होता है जब वह आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है या होने का दावा करता है।

अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ। संगठन को किसी आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से होना चाहिए। धारा 38 की उप-धारा (1) के परंतुक के खंड (बी) में प्रावधान है कि यदि धारा 38 की उप-धारा (1) के तहत अपराध का आरोपी व्यक्ति यह साबित करता है कि उसने उस अवधि के दौरान संगठन की गतिविधियों में भाग नहीं लिया है जिसमें संगठन का नाम पहली अनुसूची में शामिल है, तो धारा 38 की उप-धारा (1) के तहत आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध को आकर्षित नहीं किया जाएगा। [पैरा 11] [818-ई-एच; 819-ए] [2021] 8 एस. सी. आर.

1.3 धारा 39 समर्थन से संबंधित अपराधों से संबंधित है।

एक आतंकवादी संगठन को दिया गया। इसमें धारा 39 की उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) के तहत तीन प्रकार के अपराध शामिल हैं। धारा 39 की उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) के तहत दंडनीय अपराध केवल तभी आकर्षित होते हैं जब उसमें शामिल कार्रवाई किसी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से की जाती है।

आतंकवादी संगठन। इन गतिविधियों का आतंकवादी कृत्य से कुछ संबंध होना चाहिए। इस प्रकार, धारा 38 की उप-धारा (1) के तहत आतंकवादी संगठन को जोड़ने या उससे जुड़े होने का दावा करने का अपराध और आतंकवादी संगठन का समर्थन करने से संबंधित अपराध। धारा 39 के तहत आतंकवादी संगठन तब तक आकर्षित नहीं होगा जब तक कि दोनों धाराओं में निर्दिष्ट कार्य किसी आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से नहीं किए जाते हैं। उस हद तक, मेन्स रिया की आवश्यकता शामिल है। इस प्रकार, एक सदस्य के रूप में या अन्यथा एक आतंकवादी संगठन के साथ केवल जुड़ाव धारा 38 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि संगठन अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से न हो। भले ही कोई आरोपी धारा 39 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट कृत्यों को करके कथित रूप से किसी आतंकवादी संगठन का समर्थन करता है, उसे धारा 39 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

39 यदि यह स्थापित नहीं होता है कि समर्थन के कार्य किसी आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से किए गए हैं। [पारस

12 , 13] [819 - बी-एफ]

धारा 2 के खंड (ओ) के तहत परिभाषित गैरकानूनी गतिविधियों को करना। उक्त अपराध का आरोप इस आधार पर लगाया गया है कि आरोपी नं. 2 जो अभियोजन पक्ष के अनुसार जम्मू और कश्मीर के स्वतंत्रता आंदोलन को सार्वजनिक समर्थन आमंत्रित करता है। धारा 13 अध्याय IV या VI का हिस्सा नहीं है। धारा 43 डी की उप-धारा (5) में जमानत देने के लिए सख्त शर्तें केवल 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत दंडनीय अपराधों पर लागू होंगी। द. धारा 13 के तहत दंडनीय अपराध, अध्याय III का हिस्सा होने के कारण, धारा 43 डी की उप-धारा (5) के दायरे में नहीं आएगा और इसलिए, यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत जमानत देने के सामान्य प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

परंतुक थवाह फसल v. भारत का संघ

अभियुक्त को जमानत देने पर प्रतिबंध लगाता है जिसके खिलाफ

अध्याय IV और VI के तहत किसी भी अपराध का आरोप लगाया गया है। प्रतिबंध तब लागू होगा जब आरोप पत्र को देखने के बाद, अदालत की राय है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। इस प्रकार, यदि आरोप पत्र को देखने के बाद, यदि न्यायालय इस तरह के प्रथम दृष्टया निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है, तो द्वारा बनाया गया प्रतिबंध परंतुक लागू नहीं होगा। [पारस 15,17] [819-एच; 820-डी-एफ; 821-बी-डी]

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण v. जहूर अहमद शाह

वाताली (2019) 5 एस. सी. सी. 1: [2019] 5 एससीआर 1060-निर्भर

पर।

2.2 1967 के अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) के तहत, न्यायालय को किसी भी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है

केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना अध्याय IV और VI के तहत। मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया धारा 45 की उप-धारा (2) में निर्धारित की गई है। मंजूरी के आदेश के पैराग्राफ 2 और 3 से पता चलता है कि हालांकि अपराध 1967 के अधिनियम की धारा 20,38 और 39 के तहत दर्ज किया गया था, 13 अप्रैल 2020 के एक पत्र द्वारा, एन. आई. ए. ने धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन अभियुक्तों में से किसी पर भी मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मांगी थी। अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी गई थी। 1 और 2 धारा 38 और 39 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए। इसके अलावा, आरोपी नं. 2 धारा 13 के तहत। आदेश का पैराग्राफ 4 धारा 45 की उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण को संदर्भित करता है जिसमें उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त कानून सचिव के साथ-साथ उक्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी शामिल है। उक्त आदेश के पैराग्राफ 6 में केंद्र सरकार की प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज की गई है कि अभियुक्त के खिलाफ 1967 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला बनाया गया है, जैसा कि 13 अप्रैल 2020 के पत्र में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार, 1967 के अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए धारा 45 की उप-धारा (1) के तहत मंजूरी नहीं दी गई है और इसलिए, एन. आई. ए. अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है। इसलिए, धारा 43 डी की उप-धारा (5) द्वारा विचार किए गए प्रथम दृष्टया मामले के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, दोनों सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों के खिलाफ मामला

21] 8 एस सी आर।

केवल धारा 38 और 39 के तहत अभियुक्त पर विचार किया जाना आवश्यक है। मंजूरी के अभाव और इस तथ्य को देखते हुए कि एन. आई. ए. ने धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मंजूरी भी नहीं मांगी, आरोपी के उक्त अपराध में शामिल होने का प्रथम दृष्टया मामला इस स्तर पर नहीं बनता है। [पैरा 21,22]

[824 - बी-एच; 825-ए-बी]

2.3 धारा 43 डी की उप-धारा (5) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध एक संवैधानिक न्यायालय को मंजूरी देने से नहीं रोकते हैं।

संविधान के भाग III के उल्लंघन के आधार पर जमानत। आरोप पत्र का हिस्सा बनने वाली सामग्री किताबों और अन्य मुद्रित सामग्री के रूप में है जो आरोपी की हिरासत में पाई गई है। 1 और 2 और आरोपी नं. 2 से जब्त डिजिटल उपकरणों पर पाई गई सामग्री। 2 . विशेष अदालत के न्यायाधीश ने अपने विस्तृत फैसले में जब्त की गई सामग्री को पैराग्राफ 59 में 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। जहां तक मामले का संबंध है, आरोपी नं. 1 , कुछ दस्तावेज़

जब वह पकड़ा गया तो उसके द्वारा ले जाए गए कंधे के थैले में पाया गया। एफ. एस. एल. रिपोर्ट से पता चलता है कि आरोपी का सेल फोन नं. 1 "कश्मीर ब्लीडिंग" शीर्षक के साथ एक वीडियो क्लिप के साथ-साथ चे गुवेरा और माओ त्से तुंग जैसे विभिन्न कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नेताओं के चित्र के साथ-साथ एक कश्मीरी नेता गिलानी का चित्र भी था। कुछ पोस्टरों की प्रतियां भी मिलीं। पीडीएफ फाइल

निकाले जाने से पता चला कि इसमें निरस्तीकरण से संबंधित सामग्री थी

भाकपा (माओवादी) की समिति, भाकपा (माओवादी) केंद्रीय समिति कार्यक्रम से संबंधित फाइलें, फांसी पर लटकाए गए प्रधानमंत्री की तस्वीर, माओवादी घटनाओं से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों की कतरनें मिलीं। ए. अगाली में पी. एल. जी. ए. (माओवादी) के साथ मुठभेड़ से संबंधित पुस्तक भी जब्त की गई। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्त के फेस बुक खाते, ई-मेल खातों और कॉल विवरण में कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह दर्ज नहीं किया है कि उसमें कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई गई थी। [पैरा 23,25,28,29,30] [825-सी; 827-ई-एफ; 830-ई-एच]

2.4 अभियुक्त के खिलाफ सबूत का एक और टुकड़ा नं। 2 यह है कि अपने आवास की तलाशी के दौरान, उन्होंने ऐसे नारे लगाए, जैसे कि थवाह फजल वी।

अभियुक्त नं. 3 उस स्थान का दौरा किया जहाँ आरोपी नं. 1 पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहा था। उक्त संगठन के लाभ के लिए अभियुक्त द्वारा सदस्यता शुल्क और अन्य राशियों के संग्रह के संबंध में सामग्री पाई गई। आरोप पत्र को सही मानते हुए, यह कहा जा सकता है कि सामग्री प्रथम दृष्टया एक आतंकवादी संगठन सी. पी. आई. के साथ आरोपी के संबंध को स्थापित करती है। (माओवादी) और संगठन को उनका समर्थन। इस प्रकार, जहाँ तक अभियुक्त सं। 1 यह कहा जा सकता है कि उसके पास भाकपा (माओवादी) से संबंधित विभिन्न सामग्रियों की सॉफ्ट और हार्ड प्रतियां पाई गईं। उन्हें एक सभा में उपस्थित देखा गया था जो एक संगठन द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था जिसका कथित रूप से भाकपा (माओवादी) के साथ संबंध है। जहां तक मामले का संबंध है, आरोपी नं. 2 , भाकपा (माओवादी) की विभिन्न समितियों की बैठक के कार्यवृत्त पाए गए। आरोपी नं. की हिरासत में कुछ बैनर/पोस्टर पाए गए। 2 जिसके लिए धारा 13 के तहत अपराध गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए लागू किया गया है। [पारस 31,32,33] [831-ए-ई]

2.5 केवल एक आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ाव धारा 38 को आकर्षित करने और केवल एक आतंकवादी संगठन को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

आतंकवादी संगठन धारा 39 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। संगठन और समर्थन एक आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से होना चाहिए। किसी मामले में, इस तरह के इरादे का अनुमान किसी आतंकवादी की गतिविधियों में आरोपी की सक्रिय भागीदारी के कृत्यों या कृत्यों से लगाया जा सकता है।

संगठन जो आरोप पत्र का एक हिस्सा बनाने वाली सामग्री से उत्पन्न होते हैं। प्रारंभिक कम उम्र में, आरोपी संख्या। 1 और 2 सीपीआई (माओवादी) द्वारा प्रचारित बातों से मोहित हो गए होंगे। इसलिए, वे विभिन्न के कब्जे में हो सकते हैं नरम या कठोर रूप में भाकपा (माओवादी) से संबंधित दस्तावेज/पुस्तकें। इस आरोप के अलावा कि कुछ तस्वीरों में दिखाया गया है कि आरोपी ने कथित रूप से भाकपा (माओवादी) से जुड़े एक संगठन द्वारा आयोजित विरोध/सभा में भाग लिया था, प्रथम दृष्टया आरोप पत्र में सक्रिय भागीदारी को पेश करने के लिए कोई सामग्री नहीं है

अभियुक्त सं। 1 और 2 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट से भाकपा (माओवादी) की गतिविधियों में

21] 8 एस सी आर।

जिसका एक निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि उनकी ओर से आतंकवादी संगठन की गतिविधियों या आतंकवादी कृत्यों को आगे बढ़ाने का इरादा था। एक आरोप लगाया गया है कि वे आरोपी नं. 3 30 नवंबर, 2019 को। कि

इरादे की उपस्थिति का अनुमान लगाने के लिए स्वयं पर्याप्त नहीं हो सकता है। लेकिन इस स्तर पर उनकी ओर से इरादे की उपस्थिति का निष्कर्ष निकालने के लिए यह पर्याप्त नहीं है जो 1967 के अधिनियम की धारा 38 और 39 का एक घटक है। इस तथ्य के अलावा कि आवश्यक इरादे या मानसिक स्थिति की उपस्थिति दिखाने के लिए उनकी ओर से खुले तौर पर किए गए कार्य आरोप पत्र से नहीं निकलते हैं, प्रथम दृष्टया

प्रत्यक्षतः, लंबे समय तक संगठन के साथ उनके निरंतर जुड़ाव या समर्थन का आरोप पत्र से पता नहीं चलता है। [पैरा 34] [831-एफ-एच; 832-ए-डी]

2.6 विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोप पत्र के रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री की जांच करने के बाद कहा कि कोई नहीं है

दोनों अभियुक्तों की ओर से आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की मंशा दिखाने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि उसने विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है, जैसे कि 30 नवंबर 2019 को पकड़े जाने पर आरोपी अपने मोबाइल फोन ले जा रहे थे और जो दस्तावेज प्रत्यर्थियों के पास थे, वे जिज्ञासा या बौद्धिक उद्देश्यों के लिए नहीं थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायाधीश ने मामले को अधिक सरल बना दिया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री, जो आरोप पत्र का एक हिस्सा है, को लेते हुए विशेष अदालत ने आरोपी की ओर से भाकपा (माओवादी) की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की मंशा दिखाने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव के बारे में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज किया था। उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। वटाली के मामले में निर्धारित कानून को लागू करके, यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार नहीं थे कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप संख्या। 1 और धारा 38 और 39 के तहत अपराधों के 2 प्रथम थे

सत्य प्रतीत होता है। [पैरा 36] [832-ई-एच; 833-ए]

3.1 अन्य प्रासंगिक कारक हैं जिनकी आवश्यकता है

विचार करें। विशेष अदालत ने अभियुक्त का विस्तार करते हुए

नं. 1 और जमानत पर 2 ने सबसे सख्त शर्तें लगाई थीं, जैसे कि रुपये के जमानत बांड प्रस्तुत करना। समान राशि के लिए दो-दो प्रतिभूतियों के साथ एक लाख रुपये की अतिरिक्त शर्त के साथ कि प्रतिभूतियों में से एक, दावा फसल बनाम।

अभियुक्त के माता-पिता में से एक होगा और दूसरा मुचलका अभियुक्त का रिश्तेदार होगा। एक शर्त लगाई गई थी हर महीने के प्रत्येक पहले शनिवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन में उपस्थिति दर्ज करना और किसी भी तरह से सीपीआई (माओवादी) और इसकी सभी संरचनाओं की गतिविधियों में शामिल नहीं होना या किसी भी तरह से समर्थन नहीं करना। अभियुक्त नं. 1 और 2 को विशेष न्यायालय की अनुमति के बिना केरल राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं को नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, संबंधित पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. को दोनों अभियुक्तों की गतिविधियों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया था। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आरोपी ने किसी भी शर्त का उल्लंघन किया हो।

[पैरा 37] [833-ए-डी]

3.2 जैसा कि के. ए. नजीब के मामले में माना गया था, कठोर

39 1967 के अधिनियम और सजा 10 साल तक बढ़ सकती है या केवल ठीक है या दोनों के साथ। इसलिए, अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर और प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद, अभियुक्त को जुर्माने पर भी छोड़ दिया जा सकता है। जहां तक आरोपी के खिलाफ धारा 13 के तहत कथित अपराध का संबंध है। 2 , अधिकतम सजा 5 साल के कारावास या जुर्माने या दोनों के साथ है। अभियुक्त ने

नहीं। 2 वह 570 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है। [पैरा 38] [833-डी-जी]

भारत संघ बनाम। के. ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713--

उस पर भरोसा करें

3.3 यह सच है कि धारा 43 डी की उप-धारा (5) द्वारा विचार किए गए संतोष को दर्ज किए बिना, आदेश

अभियुक्त नं. को जमानत देना। 1 उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती थी। हालाँकि, भाग बनाने वाली सामग्री को लेते हुए [2021] 8 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आरोप-पत्र के अनुसार, दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 38 ए के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप 39 प्रथम दृष्टया सच प्रतीत नहीं होता है। [पैरा 39] [833-एच 834-ए-बी]

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड एन. आर. वी. संघ का

भारत (2004) 9 एस. सी. सी. 580 [2003] 6 पूरक। एससीआर 860; अरूप भुयान बनाम। असम राज्य (2011) 3 एस. सी. सी. 377:

[2011] 2 एस. सी. आर. 506; गुजरात राज्य बनाम गिरीश

राधाकृष्णन वर्दे (2014) 3 एससीसी 659: [2013] 12 एस. सी. आर. 930; महिपाल बनाम. राजेश कुमार उर्फ पोलिया और

एन. आर. (2020) 2 एस. सी. सी. 118; रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह

शर्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2005) 5 एस. सी. सी. 295: [2005] 3 एससीआर 345-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

[2003] 6 पूरक। एससीआर 860

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2011] 2 एससीआर 506

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

(2021) 3 एस. सी. सी. 713

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[2019] 5 एससीआर 1060

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[2013] 12 एससीआर 930

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

(2020) 2 एससीसी 118

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

[2005] 3 एससीआर 345

पैरा

19

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः क्रिमिनल एपिया

2021 का No.1302

उच्च न्यायालय के 04.01.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 की आपराधिक अपील No.705 में एर्नाकुलम में केरल का।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 1303 2021 का

एस. वी. राजू, ए. एस. जी., जयंत मुथुराज, आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता। , जॉन एस

राल्फ, जूडी जेम्स, आर. अनस मुहम्मद शमनद, अनूप सी. सी., टी. के. बाबू, बॉबी थॉमस, राल्फ आर. जॉन, राहुल मिश्रा, सुश्री साइरिका राजू अन्नम वेंकटेश, बी. वी. बलराम दास, रागेंथ बसंत, मान कृष्णन, अर्जुन सिंह भाटी, सुश्री रूपाली लखोटिया, सुश्री ऊर्जा पांडे एडव्स। उपस्थित दलों के लिए।

थवाह फसल वी. भारत का संघ

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस. ओकेए, जे.

छुट्टी दे दी गई।

1. ये दोनों अपीलें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (संक्षेप में "एन. आई. ए. अधिनियम") की धारा 21 की उप-धारा (4) के तहत भारत संघ द्वारा दायर अपीलों में केरल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर आपत्ति उठाती हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील केरल के एर्नाकुलम में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामलों की सुनवाई करने के लिए नियुक्त विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित 9 सितंबर 2020 के आदेश से उत्पन्न हुई। उक्त आदेश द्वारा, एन. आई. ए. मामलों के लिए विशेष अदालत के विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी नं. 1 एलन शुएब और आरोपी नं। 2 थवाह फसल।

बाद में, मामले की जांच राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरित कर दी गई एन. आई. ए. अधिनियम के तहत स्थापित जांच एजेंसी (संक्षेप में "एन. आई. ए".)।

3. आरोपी नं. 3 फरार है। जाँच पूरी होने पर,

एन. आई. ए. अधिनियम की धारा 121 की उप-धारा (4) के तहत अपीलों में न्यायालय को प्राथमिकता दी जाती है। जाँच एन. आई. ए. को स्थानांतरित किए जाने के बाद, आरोपी नं. 2 जमानत के लिए आवेदन किया जिसे विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, अभियुक्तों द्वारा नए आवेदन दायर किए गए जिन्हें विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा 9 सितंबर 2020 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, विशेष न्यायालय के आदेश के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने तय किया अभियुक्त को जमानत देने के आदेश को दरकिनार करते हुए नं. 2. हालांकि, आरोपी को जमानत देने वाले विशेष अदालत के आदेश नं. 1 [2021] 8 एस. सी. आर. द्वारा पुष्टि की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय। विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) से उत्पन्न अपील। 2021 की सं. 2415 को अभियुक्त सं. 2 और

विशेष अनुमति याचिका (सी. आर. एल.) से उत्पन्न अपील। 2021 की संख्या 5931 है भारत संघ द्वारा विवादित निर्णय और आदेश के उस भाग को चुनौती देने के लिए प्राथमिकता दी गई जिसके द्वारा अभियुक्त को जमानत देने वाले विशेष न्यायालय के आदेश नं. 1 इसकी पुष्टि हो चुकी है। अभियुक्त नं. 1 और 2 को 1 नवंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी नं. 1 जिनका जन्म 27 अगस्त 1999 को हुआ था, वे उस समय 20 वर्ष के थे और आरोपी नं। 2 जिनका जन्म 5 अगस्त 1995 को हुआ था, वे उस समय 24 वर्ष के थे। जैसा कि विशेष अदालत ने उल्लेख किया है, आरोपी नं. 1 उस समय वह कानून का छात्र था और आरोपी नं. 2 , काम करते हुए और अपनी आजीविका कमाते हुए, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पत्रकारिता में अपनी पढ़ाई कर रहे थे।

कार्यक्रम।

4. 1 नवंबर 2019 को, शिकायतकर्ता जो पैंथीरंकावु पुलिस स्टेशन से जुड़ा पुलिस का उप निरीक्षक है केरल के कोझिकोड शहर ने पाया कि आरोपी संख्या। 1 3 खड़े थे

कोझिकोड शहर में मेडिकेयर प्रयोगशाला के सामने संदिग्ध परिस्थितियों में। पुलिस वाहन को देखने के बाद, आरोपी नं। 3 भाग गए। हालांकि, आरोपी नं. 1 और 2 को पकड़ लिया गया। आरोपी नं. 1 था।

एक कंधे का थैला और आरोपी नं। 2 एक लाल प्लास्टिक की फाइल ले जा रहा था। अभियुक्त नं. के कंधे के थैले से नौ वस्तुएँ जब्त की गईं। 1 . अभियुक्त की लाल प्लास्टिक की फाइल से नं. 2 , दो सामान जब्त किए गए। उसी दिन 1967 के अधिनियम की धारा 20,38 और 39 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी नं. 1 और 2 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) [संक्षेप में "सीपीआई (माओवादी)"] के सदस्य थे जो 1967 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (एम) के अर्थ के भीतर एक आतंकवादी संगठन है जो 1967 के अधिनियम की पहली अनुसूची में मद No.34 में सूचीबद्ध है। 18 अप्रैल 2020 के आदेश द्वारा, भारत सरकार ने निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दीः

अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए 1967 के अधिनियम की धारा 45 नं. 1 1967 अधिनियम की धारा 38 और 39 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए। उसी आदेश के तहत, आरोपी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नं। 2 1967 के अधिनियम की धारा 13,38 और 39 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अनुमति दी गई थी। जैसा कि 18 अप्रैल 2020 के आदेश से देखा जा सकता है, एन. आई. ए. ने

उपरोक्त धाराओं के तहत मंजूरी देने की सिफारिश की गई। यह श्री एस. वी. राजू, विद्वान अतिरिक्त द्वारा बार के पार इंगित किया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल (ए. एस. जी.) ने कहा कि मामला आरोप तय करने के लिए तय किया गया है। हालाँकि, पूरे बार में यह भी बताया गया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से एक रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

थवाह फसल वी. भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

सीखी हुई सलाह के मिशन

i जयंत मुथुराज, उक्त अभियुक्त द्वारा दायर अपील के समर्थन में 2 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रस्तुतियाँ जिन्हें संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

हालाँकि 1967 के अधिनियम की धारा 20,38 और 39 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन आरोप पत्र दाखिल करते समय धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध को लागू नहीं किया गया है। वह.

बताया कि धारा 20 एक ऐसे आरोपी पर लागू होती है जो आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन का सदस्य है जो एक आतंकवादी कृत्य में शामिल है। उन्होंने कहा कि हालांकि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आरोपी

नं. 1 और 2 भाकपा (माओवादी) के सदस्य हैं, यहां तक कि 1967 के अधिनियम की धारा 45 के अनुसार धारा 20 के तहत अभियुक्त पर मुकदमा चलाने की मंजूरी भी नहीं दी गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपराध के लिए अधिकतम सजा

सजा 5 साल या जुर्माना या दोनों के साथ होती है। उन्होंने बताया कि 1967 के अधिनियम की धारा 43 डी की उप-धारा (5) में जमानत देने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।

केवल अपराधों के अभियुक्त व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं।

1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत दंडनीय। वह.

प्रस्तुत किया कि धारा 13 अध्याय III का एक भाग है और

इसलिए, केवल धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 38 और 1967 के अधिनियम के 39, उप-धारा के कठोर प्रावधान

(5) धारा 43 डी को लागू करना होगा।

उन्होंने इस तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि 1 नवंबर 2019 को आरोपी नं. 2 , भारत में जाति के मुद्दों पर एक पुस्तक और संगठनात्मक के रूप में एक पुस्तक

लोकतंत्र, लेनिन के साथ असहमति पाई गई। वह.

इंगित किया कि आरोपी के घर की तलाशी से नं। 2 , 18 सामान पाए गए जिनमें से अधिकांश दस्तावेज हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास से दो लाल रंग के बैनर जब्त किए गए थे।

उनके घर ने लोगों से स्वतंत्रता जे. पी. आर. ई. एम. कोर्ट रिपोर्ट का समर्थन करने का आह्वान किया

जम्मू और कश्मीर का संघर्ष। उन्होंने बताया कि आरोपी के घर से एक लैपटॉप, सिम के साथ मोबाइल फोन, दो अतिरिक्त सिम कार्ड, तीन मेमोरी कार्ड और दो पेन ड्राइव जब्त किए गए। 2 .

उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह मानते हुए भी कि आरोपी नं। 2 संबंधित विभिन्न सामग्रियों के कब्जे में पाया गया

सी. पी. आई. (माओवादी) की गतिविधियाँ और बैठकें, धारा 38 और 39 आकर्षित नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि धारा 38 की उप-धारा (1) के तहत अपराध का पता लगाया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से खुद को किसी आतंकवादी संगठन से जोड़ता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसी तरह, धारा 39 के तहत एक अपराध केवल तभी आकर्षित होता है जब धारा 39 में शामिल कार्य इरादे से किए जाते हैं - एक आतंकवादी संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाना। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आरोप पत्र में यह दिखाने के लिए किसी भी सामग्री का खुलासा नहीं किया गया है कि आरोपी नं. 2 .

विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने उनके खिलाफ शामिल प्रत्येक सामग्री पर विचार किया है।

आरोप-पत्र में अभियुक्त ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आरोप-पत्र प्रथम दृष्टया आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का इरादा रखने वाले अभियुक्त का मामला नहीं बनाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रथम दृष्टया निष्कर्ष को बाधित करने के लिए कोई कारण नहीं दिए गए हैं। उन्होंने एक पर भरोसा किया

पीपुल्स यूनियन के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

सिविल लिबर्टीज एंड ए. एन. आर. वी. भारत संघ 1. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय के समक्ष उक्त मामले में चुनौती थी

के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिक वैधता

आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में "पोटा")। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने तर्क को स्वीकार कर लिया

भारत के विद्वान महान्यायवादी ने कहा कि धारा 20,21 और 22 ऐसी किसी भी गतिविधि को शामिल नहीं करती है जिसका आतंकवादी गतिविधि को आगे बढ़ाने या प्रोत्साहित करने या इसे करने में सुविधा प्रदान करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त तीन प्रावधान पुरुष अधिकार को बाहर नहीं करते हैं। उन्होंने इस न्यायालय के एक अन्य फैसले पर भी भरोसा किया।

सी 580 थवाह फसल बनाम। भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

अरूप भुयान बनाम का मामला। असम राज्य 2. उन्होंने प्रस्तुत किया

धारा 38 और 39 के तहत अपराध तब तक आकर्षित नहीं होते हैं जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि अभियुक्त संख्या। 1 और 2 सक्रिय थे

भाकपा (माओवादी) के सदस्य। उन्होंने यह भी बताया कि

इसके बाद वर्ष 2015 में उक्त निर्णय लिया गया है -

विद्वान वरिष्ठ वकील ने भारत संघ बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। के. ए. नजीब 3. उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि

1967 के अधिनियम की धारा 43 डी की उप-धारा (5) द्वारा लगाया गया वैधानिक प्रतिबंध भारत के संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर जमानत देने के लिए संवैधानिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (संक्षेप में "एन. डी. पी. एस. एक्ट") जैसे कानूनों में, जमानत देते समय, अदालत को प्रथम दृष्टया संतोष दर्ज करने की आवश्यकता है कि -

प्रस्तुत किया कि धारा 43 डी की उप-धारा (5) के तहत, जमानत देने से पहले, न्यायालय को संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया नहीं लगाया गया है

बाहर निकलें। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यहां तक कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षणों के अनुसार भी।

विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त सं. 2 जमानत पर। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवादित निर्णय और आदेश के तहत जमानत रद्द होने के तुरंत बाद, आरोपी नं। 2 समर्पण कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी नं। 2 वह 572 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है। उन्होंने बताया कि 92

सी377 सी713

आरोप पत्र में गवाहों का हवाला दिया गया है और यहां तक कि विशेष अदालत द्वारा आरोप भी नहीं बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 1967 के अधिनियम की धारा 38 और 39 के तहत लगाई गई सजा दस साल या जुर्माना या दोनों हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोप अभी तक तैयार नहीं किया गया है और कुल 92 गवाहों से पूछताछ की जानी है, मुकदमा निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए आरोप लगाया गया है

तुरंत फंसाने की संभावना नहीं है।

आर. एस. वी. राजू, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने 2 द्वारा पसंद की गई अपील का विरोध करने और संघ द्वारा पसंद की गई अपील के समर्थन में प्रस्तुतियाँ दीं।

उन्होंने कहा कि 1967 के अधिनियम की अनुसूची 1 की मद संख्या 34 में भाकपा (माओवादी) को आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया है। 1967 अधिनियम की धारा 2 के खंड (एम) के अर्थ के भीतर संगठन। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त संगठन

एक आतंकवादी संगठन है जो 1967 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (पी) द्वारा अनुध्यात एक गैरकानूनी संगठन से अलग है।

उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद, माओवाद जिंदाबाद, नक्सलबारी जिंदाबाद आदि जैसे विभिन्न नारे लगाए। उन्होंने बताया कि उनके आवास से भाकपा (माओवादी) के दो लाल रंग के हस्तनिर्मित कपड़े के बैनर बरामद किए गए, जो लोगों से कश्मीर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का समर्थन करने का आह्वान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैनर तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री भी बरामद की गई है। उन्होंने कहा कि बैनरों की सामग्री विद्रोह और सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काने के बराबर है। उन्होंने बताया कि आरोपी के घर की तलाशी के दौरान नं। 2 न केवल सी. पी. आई. (माओवादी) द्वारा प्रकाशित विभिन्न सामग्री मिली, बल्कि 15 सितंबर 2019 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त वाली एक नोटबुक भी मिली। उन्होंने बताया कि उक्त नोटबुक उनके घर के अंदर एक बंद कमरे में मिली थी। उन्होंने बताया कि सी. पी. आई. (माओवादी) के समाचार बुलेटिन के कई खंडों की सॉफ्ट प्रतियां बरामद की गईं।

(माओवादी) और पार्टी का रोड मैप। उन्होंने प्रस्तुत किया कि डिजिटल उपकरण में भाकपा (माओवादी) की राजनीतिक और सैन्य रणनीति के बारे में भी सामग्री है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दोनों अभियुक्तों की हिरासत से मिली सामग्री और उनके घरों से जब्त की गई सामग्री से संकेत मिलता है कि वे दोनों और विशेष रूप से अभियुक्त नं। 2 सी. पी. आई. (माओवादी) की गतिविधियों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह तथ्य कि गुप्त बैठकों के कार्यवृत्त आरोपी नं. 2 यह दर्शाता है कि वह आतंकवादी संगठन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। उन्होंने कहा कि इस पर विचार करते हुए

आरोप पत्र का एक हिस्सा बनाने वाली सामग्री, दोनों अभियुक्तों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का इरादा

आतंकवादी संगठन का अनुमान लगाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है, उस पर 1967 के अधिनियम की धारा 38 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि हालांकि गुजरात राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए धारा 20 लागू नहीं की गई होगी। गिरीश राधाकृष्णन वर्देस, विशेष अदालत पुलिस रिपोर्ट से असहमत हो सकती है और ऐसे अपराध के लिए प्रक्रिया जारी करता है जो आरोप पत्र में नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी

न्यायालय द्वारा जाँच का आदेश दिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष बाद में 1967 के अधिनियम की धारा 20 के तहत भी दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त कर सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य के अलावा कि अरूप के मामले में निर्णय

भुयान (उपरोक्त) को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया है, उक्त मामले में शामिल मुद्दा आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में "टाडा") के संबंध में था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पी. यू. सी. एल. (उपरोक्त) के मामले में, चुनौती पोटा के विभिन्न प्रावधानों के लिए थी न कि 1967 के अधिनियम के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने आदेश की पुष्टि करते हुए

(जी)

अभियुक्त नं. को जमानत देना। 1 1967 के अधिनियम की धारा 43 डी की उप-धारा (5) की पूरी तरह से अवहेलना की है। उन्होंने कहा कि आरोपी नंबर 1 को दी गई जमानत की पुष्टि उच्च न्यायालय ने उप-धारा की अनदेखी करके की है।

5 धारा 43 डी।

उन्होंने कहा कि विशेष अदालत ने पूरी तरह से अनदेखी की है

(ज)

वटाली (ऊपर) के मामले में निर्धारित कानून और उच्च न्यायालय द्वारा सही पाया गया, विशेष न्यायालय ने

एक लघु परीक्षण किया जिसकी अनुमति नहीं है।

((i)

उन्होंने प्रस्तुत किया कि आरोपी नं। 1 और 2 जो हैं

आतंकवादी संगठन के सक्रिय सदस्य कोशिश कर रहे हैं

लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से वैमनस्य पैदा करना। उन्होंने कहा कि हालांकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पवित्र है, लेकिन व्यक्तिगत अधिकार

राष्ट्रीय हित का संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए प्रथम दृष्टया निष्कर्ष

अभियुक्त सं. के विरुद्ध सम्पूर्ण सामग्री पर विचार। 1 और 2 उन दोनों को जमानत देने के लिए अयोग्य घोषित कर दें।

7. अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत नं. 1 में विद्वान ए. एस. जी. द्वारा की गई प्रस्तुतियों का विरोध किया

भारत संघ द्वारा पसंद की गई अपील। उनकी प्रस्तुतियों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है: -

(क) उन्होंने प्रस्तुत किया कि एन. आई. ए. ने कभी भी अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मांगी। 1 और 2 धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध के लिए

अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ मनोरोग संबंधी मुद्दों पर विवाद नहीं है। उन्होंने पोटा की धारा 20,21 और 22 की वैधता को बरकरार रखते हुए पी. यू. सी. एल. (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने पैराग्राफ 46 पर भरोसा किया जो भारत सरकार के इस कथन को दर्ज करता है कि पोटा की धारा 20,21 और 22 को केवल एक अनुच्छेद पर लागू किया जा सकता है। व्यक्ति जिसने आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने या प्रोत्साहित करने या इसके आयोग को सुविधाजनक बनाने के इरादे से काम किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि तवा फजल v को निरस्त करते हुए।

पोटा, धारा 38 और 39 में आतंकवादी संगठनों की आगे की गतिविधियों के इरादे को शामिल करके 1967 के अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किए गए थे। महिपाल बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। राजेश कुमार उर्फ पोलिया और अनरो ने कहा कि

धारा 21 की उप-धारा (4) के तहत अपील करने की शक्ति का प्रयोग करना।

एन. आई. ए. अधिनियम के अनुसार, अदालत जमानत देने के आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक कि आदेश दिमाग के गैर-अनुप्रयोग से ग्रस्त न हो या रिकॉर्ड पर साक्ष्य के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि विशेष अदालत द्वारा आरोप तय करने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

प्रस्तुतियों का समावेश

गैरकानूनी संघों और गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित है जिनसे हम संबंधित नहीं हैं। अध्याय IV का शीर्षक "आतंकवादी कृत्य के लिए सजा" है। अध्याय IV की धारा 16 में आतंकवादी के लिए सजा निर्धारित की गई है। अभिनय करें। धारा 2 के खंड (के) में प्रावधान है कि "आतंकवादी कृत्य" का अर्थ धारा 15 के तहत दिया गया है जो इस प्रकार हैः

" 15. आतंकवादी कृत्य। — [(1)] जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा (आर्थिक सुरक्षा) या संप्रभुता को खतरे में डालने या खतरे में डालने के इरादे से या आतंक फैलाने के इरादे से या भारत में या किसी भी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने की संभावना के साथ कोई भी कार्य करता है,

(क) बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ या आग्नेयास्त्र या अन्य घातक हथियारों का उपयोग करके या

जहरीली या हानिकारक गैसें या अन्य रसायन या खतरनाक प्रकृति के किसी अन्य पदार्थ (चाहे जैविक रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्यथा) या किसी भी प्रकृति के किसी भी अन्य माध्यम से -

((i) किसी व्यक्ति या व्यक्ति की मृत्यु या चोटें; या

((ख) संपत्ति का नुकसान या क्षति या विनाश; या
(iii) जीवन के लिए आवश्यक किसी भी आपूर्ति या सेवाओं में व्यवधान

भारत या किसी विदेशी देश में समुदाय; या

((iv) भारत में या किसी विदेशी देश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश जिसका उपयोग भारत की रक्षा के लिए या भारत सरकार के किसी अन्य उद्देश्य के संबंध में किया जाता है। भारत सरकार, कोई भी राज्य सरकार या उनकी कोई भी सरकार

अभिकरण; या

(बी) आपराधिक बल या आपराधिक प्रदर्शन के माध्यम से अति भय

बल प्रयोग या ऐसा करने का प्रयास या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु का कारण बनता है

या किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की मृत्यु का कारण बनने का प्रयास; या

(ग) किसी व्यक्ति को हिरासत में लेता है, अपहरण करता है या अपहरण करता है और ऐसे व्यक्ति को मारने या घायल करने की धमकी देता है या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी देश की सरकार या [किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर-सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या करने से दूर रहने के लिए मजबूर करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है; या] कोई आतंकवादी कार्य करता है।

[स्पष्टीकरण। इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए,

(क) "लोक पदाधिकारी" से संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक पदाधिकारी के रूप में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कोई अन्य पदाधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा" का अर्थ है नकली मुद्रा जो किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा जांच के बाद घोषित की जा सकती है।

या अधिसूचित फोरेंसिक प्राधिकरण कि ऐसी मुद्रा नकल करती है या

में निर्दिष्ट प्रमुख सुरक्षा विशेषताओं के साथ समझौता

तीसरी अनुसूची।]

[(2) आतंकवादी अधिनियम में एक ऐसा कार्य शामिल है जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी संधि के दायरे में अपराध का गठन करता है।]

इस मामले में आरोपी के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। 1 और 2

किसी भी आतंकवादी कृत्य को छोड़ देना। अध्याय 5 में इसके लिए प्रावधान हैं -

आतंकवाद की आय, जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है।

9. इन अपीलों में, हम मुख्य रूप से 1967 के अधिनियम की धारा 20,38 और 39 के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित हैं।

" 20. आतंकवादी गिरोह का सदस्य होने के लिए सजा या

संगठन। - कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी गिरोह का सदस्य है

या एक आतंकवादी संगठन, जो आतंकवादी कृत्य में शामिल है, एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। "

38.आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध। - (1) एक व्यक्ति, जो खुद को संबद्ध करता है, या

अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से एक आतंकवादी संगठन से जुड़े होने का दावा करने वाला, एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध करता है: बशर्ते कि यह उप-धारा वहां लागू नहीं होगी जहां आरोपित व्यक्ति साबित करने में सक्षम है

(क) कि संगठन को उस समय आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया गया था जब वह सदस्य बना था या

सदस्य होने का दावा करना शुरू किया; और

(ख) कि उसने पहली अनुसूची में आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल किए जाने के दौरान किसी भी समय संगठन की गतिविधियों में भाग नहीं लिया है।

(2) एक व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के तहत एक आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध करता है,

अधिकतम अवधि के लिए कारावास से दंडनीय

दस साल, या जुर्माना के साथ, या दोनों के साथ।

39.आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध। (1) एक व्यक्ति एक आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध करता है,

(क) जो किसी आतंकवादी संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाने के इरादे से,

((i)

आतंकवादी संगठन के लिए समर्थन आमंत्रित करता है; और

((ख)

सहायता धन प्रदान करने तक सीमित नहीं है या नहीं है

धारा 40 के अर्थ के भीतर अन्य संपत्ति; या

(ख) जो किसी आतंकवादी की गतिविधि को आगे बढ़ाने के इरादे से संगठन, व्यवस्था, प्रबंधन या एक बैठक की व्यवस्था या प्रबंधन में सहायता करता है जिसे वह जानता है

आतंकवादी संगठन का समर्थन करना; या

((i)

आतंकवादी संगठन की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए; या सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

((ख)

21] 8 एस सी आर।

(111) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा संबोधित किया जाना जो सहयोगी या पेशेवर है

आतंकवादी संगठन से जुड़ा होना; या

आतंकवादी संगठन का समर्थन करना या उसकी गतिविधि को आगे बढ़ाना। (2) एक व्यक्ति, जो दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध करता है

उप-धारा (1) के तहत किसी आतंकवादी संगठन को

दस से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय

वर्षों, या जुर्माने के साथ, या दोनों के साथ "

(जोर दिया गया)

10. धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध तब आकर्षित होता है जब

अभियुक्त आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन का सदस्य है। जो आतंकवादी कृत्य में शामिल है। धारा 20 को तब तक आकर्षित नहीं किया जाता है जब तक कि आतंकवादी गिरोह या आतंकवादी संगठन जिसका आरोपी सदस्य है, धारा 15 द्वारा परिभाषित आतंकवादी कृत्य में शामिल न हो। धारा 20 में कारावास की सजा का प्रावधान है जो आजीवन कारावास और जुर्माने तक हो सकती है।

11. धारा 38 के स्पष्ट पढ़ने पर, उसमें दंडनीय अपराध

आकर्षित किया जाएगा यदि अभियुक्त स्वयं सहयोगी है या दावा करता है

अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से पहली अनुसूची में शामिल एक आतंकवादी संगठन के साथ खुद को जोड़ता है। ऐसे मामले में, वह एक

धारा 38 के अंतर्गत आने वाले आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध। धारा 38 के तहत अपराध करने वाला व्यक्ति आतंकवादी संगठन का सदस्य हो सकता है या वह सदस्य नहीं भी हो सकता है। यदि अभियुक्त आतंकवादी संगठन का सदस्य है जो धारा 15 के अंतर्गत आने वाले आतंकवादी कृत्य में लिप्त है, तो धारा 20 के तहत कठोर अपराध किया जा सकता है। यदि अभियुक्त किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित धारा 38 के तहत दंडनीय अपराध केवल तभी आकर्षित होता है जब वह आतंकवादी संगठन से जुड़ा होता है या अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा होने का दावा करता है। संगठन को किसी आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से होना चाहिए। यह गतिविधि धारा 15 में परिभाषित आतंकवादी कृत्य के संबंध में होनी चाहिए। धारा 38 की उप-धारा (1) के परंतुक के खंड (बी) में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 38 की उप-धारा (1) के तहत अपराध यह साबित करता है कि उसने उस

अवधि के दौरान संगठन की गतिविधियों में भाग नहीं लिया है जिसमें संगठन का नाम पहली अनुसूची में शामिल किया गया है।

उप-धारा के तहत आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित (1) धारा 38 को आकर्षित नहीं किया जाएगा। उपरोक्त खंड (बी) अभियुक्त का बचाव हो सकता है। हालाँकि, जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय, हम अभियुक्त के बचाव से संबंधित नहीं हैं।

12. धारा 39 दिए गए समर्थन से संबंधित अपराधों से संबंधित है

एक आतंकवादी संगठन। इसमें धारा 39 की उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) के तहत तीन प्रकार के अपराध शामिल हैं। धारा 39 की उप-धारा (1) के खंड (ए), (बी) और (सी) के तहत दंडनीय अपराध केवल तभी आकर्षित होते हैं जब उसमें शामिल कार्रवाई निम्नलिखित इरादे से की जाती हैः एक आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाना। जैसा कि पहले देखा गया है, गतिविधियों का आतंकवादी कृत्य से कुछ संबंध होना चाहिए। खंड (ए), (बी) और (सी) केवल तभी आकर्षित होते हैं जब उसमें निर्दिष्ट कार्रवाई/गतिविधियाँ किसी आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से की जाती हैं।

13. इस प्रकार, आतंकवादी संगठन को जोड़ने या उससे जुड़े होने का दावा करने की धारा 38 की उप-धारा (1) के तहत अपराध।

और धारा 39 के तहत किसी आतंकवादी संगठन को समर्थन देने से संबंधित अपराध तब तक आकर्षित नहीं होगा जब तक कि दोनों धाराओं में निर्दिष्ट कार्य किसी आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से नहीं किए जाते हैं। उस हद तक, मेन्स रिया की आवश्यकता शामिल है। इस प्रकार, एक सदस्य के रूप में या अन्यथा एक आतंकवादी संगठन के साथ केवल जुड़ाव धारा 38 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि संगठन अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से न हो। भले ही कोई आरोपी धारा 39 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से (सी) में निर्दिष्ट कृत्यों को करके किसी आतंकवादी संगठन का कथित रूप से समर्थन करता है, उसे धारा 39 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है यदि यह स्थापित नहीं है। कि समर्थन के कार्य एक आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से किए जाते हैं। इस प्रकार, एक आतंकवादी संगठन की आगे की गतिविधियों का इरादा 1967 के अधिनियम की धारा 38 और 39 के तहत दंडनीय अपराधों का एक अनिवार्य घटक है।

14. दोनों अपराधों के लिए निर्धारित सजा है -

10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ। धारा 20 के तहत अपराध अधिक गंभीर है क्योंकि इसमें सजा होती है जो आजीवन कारावास और जुर्माने तक हो सकती है। धारा 38 और/के तहत किए गए अपराध की गंभीरता के आधार पर

या 39 और अन्य प्रासंगिक कारकों पर, अभियुक्त को जुर्माने पर भी छोड़ दिया जा सकता है।

15. आरोपी नं. 2 अपराध के लिए आरोपित किया गया है

धारा 13 के तहत दंडनीय, जो इस प्रकार हैः

" 13. गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा। (1) जो भी हो -

((क) इसमें भाग लेता है या प्रतिबद्ध होता है, या

(ख) किसी भी गैरकानूनी गतिविधि के लिए अधिवक्ता, प्रोत्साहन, सलाह या उकसाना, सात साल तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, और उत्तरदायी भी होगा।

ठीक करने के लिए।

(2) जो कोई भी, किसी भी तरह से, धारा 3 के तहत गैरकानूनी घोषित किसी भी संघ की किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में सहायता करता है।

जिस अधिसूचना द्वारा इसे इस प्रकार घोषित किया गया है, वह उस धारा की उप-धारा (3) के तहत प्रभावी हो गई है, वह एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय होगी जिसका विस्तार हो सकता है -

(3) इस धारा की कोई बात भारत सरकार के बीच की गई किसी संधि, समझौते या समझौते पर लागू नहीं होगी। और किसी अन्य देश की सरकार या किसी भी वार्ता के लिए

इसके लिए इस ओर से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा

भारत सरकार "।

यह अनिवार्य रूप से धारा 2 के खंड (ओ) के तहत परिभाषित गैरकानूनी गतिविधियों को करने का अपराध है। उक्त अपराध का आरोप इस आधार पर लगाया गया है कि आरोपी नं. 2 जो अभियोजन पक्ष के अनुसार जम्मू और कश्मीर के स्वतंत्रता आंदोलन को सार्वजनिक समर्थन आमंत्रित करता है। धारा 13 अध्याय IV या VI का हिस्सा नहीं है। इसलिए, धारा 13 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने पर विचार करने के लिए, धारा 43 डी की उप धारा (5) के कड़े प्रावधान लागू नहीं होंगे। 16. अब, हम जमानत देने के संबंध में 1967 के अधिनियम के प्रावधान पर आते हैं। धारा 43 डी की उप-धारा (5) प्रासंगिक है।

इस प्रकारः

" (5) संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को, यदि हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसा करने का अवसर नहीं दिया गया है।

इस तरह की रिहाई के लिए आवेदन पर सुनवाई की जा रही हैः

बशर्ते कि ऐसा अभियुक्त व्यक्ति नहीं होगा

जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा किया जाता है यदि न्यायालय, केस डायरी के अवलोकन पर या तहवा फजल v की धारा 173 के तहत की गई रिपोर्ट पर।

संहिता की राय है कि उचित आधार हैं यह विश्वास करने के लिए कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप है

प्रथम दृष्टया सच है "।

(जोर दिया गया)

17. उप-धारा (5) में जमानत देने के लिए कठोर शर्तें

धारा 43 डी केवल 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत दंडनीय अपराधों पर लागू होगी। धारा 13 के तहत दंडनीय अपराध, जो अध्याय 3 का हिस्सा है, धारा 43 डी की उप-धारा (5) के दायरे में नहीं आएगा और इसलिए, यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत जमानत देने के सामान्य प्रावधानों द्वारा शासित होगा। परंतुक उन अभियुक्तों को जमानत देने पर प्रतिबंध लगाता है जिनके खिलाफ अध्याय IV और VI के तहत किसी भी अपराध का आरोप लगाया गया है। प्रतिबंध तब लागू होगा जब आरोप पत्र को देखने के बाद, अदालत की राय है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। इस प्रकार, यदि आरोप पत्र को देखने के बाद, यदि न्यायालय प्रथम दृष्टया इस तरह का निष्कर्ष निकालने में असमर्थ है

निष्कर्ष यह है कि परंतुक द्वारा बनाया गया प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

18. वटाली (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने व्यापक रूप से विचार किया है।

1967 के अधिनियम की धारा 43 डी की उप-धारा (5) के साथ और जमानत याचिकाओं से निपटने के लिए दिशानिर्देश भी निर्धारित किए हैं जिन पर धारा 43 डी की उप-धारा (5) लागू होती है। पैराग्राफ 23 में, इस न्यायालय ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा में अंतर पर विचार किया

1967 के अधिनियम की धारा 43 डी की उप-धारा (5) और जमानत का शासी अनुदान। उक्त निर्णय का अनुच्छेद 23 इस प्रकार हैः

" 23. उप-धारा (5) के परंतुक के आधार पर, यह कर्तव्य है -

यह मानते हुए कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया है सही या अन्यथा। के निर्णयों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था

यह न्यायालय, जिसे इसी तरह के विशेष मामले से निपटने का अवसर मिला है

टाडा और मकोका में प्रावधान। उन में अंतर्निहित सिद्धांत

प्रार्थना पर विचार करते समय निर्णयों का कुछ असर हो सकता है

1967 के अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में भी जमानत के लिए।

विशेष रूप से, विशेष अधिनियमों के तहत जैसे कि टाडा, मकोका और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक

पदार्थ अधिनियम, 1985, न्यायालय के लिए आवश्यक है कि वह अपने राय है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि

अभियुक्त कथित अपराध का "दोषी नहीं" है। वहाँ है।

होने की संतुष्टि के बीच अंतर की एक डिग्री न्यायालय द्वारा अभिलिखित कि उचित आधार हैं [2021] 8 एस. सी. आर.

यह विश्वास करने के लिए कि अभियुक्त इस तरह के अपराध का "दोषी नहीं" है

और के प्रयोजनों के लिए दर्ज की जाने वाली संतुष्टि 1967 ऐसा कार्य करें कि विश्वास करने के लिए उचित आधार हों

प्रथम सूचना रिपोर्ट में संबंधित अभियुक्त को, प्रबल तब तक रहता है जब तक कि इसके द्वारा विरोधाभासी और पराजित या अस्वीकृत नहीं किया जाता है

अन्य साक्ष्य, और इसके चेहरे पर, जटिलता को दर्शाता है कथित अपराध करने के मामले में ऐसे अभियुक्त। यह.

किसी दिए गए तथ्य को स्थापित करने के लिए अच्छा और पर्याप्त होना चाहिए या

कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की श्रृंखला, जब तक कि इसका खंडन न किया जाए

या विरोधाभासी। एक मायने में, संतुष्टि की डिग्री है

हल्का होता है जब न्यायालय को यह राय देनी होती है कि आरोप है " प्रथम दृष्टया सत्य ", की राय की तुलना में

अभियुक्त ऐसे अपराध का "दोषी नहीं" जिसके तहत आवश्यक है अन्य विशेष अधिनियम। किसी भी मामले में, की डिग्री

न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त करने के लिए संतोष दर्ज किया जाना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि

अभियुक्तक विरुद्ध आरोप प्रथम दृष्टिसँ सत्य अछि, हल्का अछि।

निर्वहन आवेदन पर विचार करना या शुल्क तय करना 1967 अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में। ”

(जोर दिया गया)

19. विभिन्न मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करने के बाद

रंजीतसिंह के मामले में निर्णय सहित

मजीत्सिंघ शर्मा बनाम। महाराष्ट्र राज्य ', पैराग्राफ 24 में

5 यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" 24. एक प्राथमिकता, इस पर न्यायालय द्वारा की जाने वाली कवायद

साक्ष्य के गुण या दोषों पर चर्चा करने से अलग। द. विस्तृत जाँच या साक्ष्य के विच्छेदन की आवश्यकता नहीं है।

इस स्तर पर किया जाना है। न्यायालय से केवल यह अपेक्षा की जाती है कि

व्यापक संभावनाओं के आधार पर एक निष्कर्ष दर्ज करें

आयोग में अभियुक्त की संलिप्तता

अपराध या अन्यथा कहा गया।

25. विवादित फैसले के विश्लेषण से हमें ऐसा प्रतीत होता है

कि उच्च न्यायालय ने जाँच करने के क्षेत्र में प्रवेश किया है साक्ष्य के गुण और अवगुण। के लिए, यह नोट किया कि सबूत

धारा 161 के तहत गवाहों के बयान के रूप में नहीं हैं

स्वीकार्य है। इसके अलावा, द्वारा सेवा में लगाए गए दस्तावेज़

जाँच एजेंसी सबूत में स्वीकार्य नहीं थी। यह भी नोट किया

कि यह संभावना नहीं थी कि दस्तावेज़ से बरामद किया गया था गुलाम मोहम्मद भट्ट का निवास 16-8-2017 तक (पैरा

61 विवादित निर्णय)। इसी तरह, उच्च का दृष्टिकोण

संरक्षित के बयानों को पूरी तरह से खारिज करने में अदालत

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए गवाह इस आधार पर कि उसे एक सीलबंद आवरण में रखा गया था और नहीं था

यहाँ तक कि नामित न्यायालय द्वारा भी देखा गया और क्योंकि संदर्भ दर्ज किए गए ऐसे बयानों में नहीं पाया गया था

प्रतिवादी के खिलाफ पहले से दायर आरोप पत्र, हमारी राय में है, इसे दर्ज करने के न्यायालय के कर्तव्य की पूरी तरह से अवहेलना में

राय है कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप

संबंधित प्रथम दृष्टया सच या अन्यथा है। यह राय

न्यायालय द्वारा न केवल संदर्भ में संपर्क किया जाना चाहिए

एफ. आई. आर. में लेकिन सामग्री के संदर्भ में भी आरोप

केस डायरी और आरोप-पत्र सहित (रिपोर्ट)

धारा 173 सी. आर. पी. सी. के तहत) और द्वारा एकत्र की गई अन्य सामग्री

जाँच एजेंसी जाँच के दौरान "।

(जोर दिया गया)

20. इसलिए, एक अभियुक्त द्वारा दायर जमानत याचिका पर निर्णय लेते समय

जिनके खिलाफ 1967 के अधिनियम के अध्याय IV और VI के तहत अपराध हैं

आरोप लगाया गया है, न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम है

देखने में सही लगता है। यदि न्यायालय अभिलेख पर सामग्री की जांच करने के बाद संतुष्ट हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य है, तो अभियुक्त निम्नलिखित का हकदार है -

जमानत। इस प्रकार, जांच का दायरा यह तय करना है कि कथित अपराधों के आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है या नहीं।

अध्याय IV और VI के तहत। यह मानने के लिए आधार कि आरोप

अभियुक्तक विरुद्ध प्रथम दृष्टिसँ सत्य उचित आधार होयत।

हालांकि, न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले के मुद्दे की जांच करते हुए कहा कि धारा 43 डी की उप-धारा (5) द्वारा अपेक्षित एक मिनी आयोजित करने की उम्मीद नहीं है

मुकदमा। न्यायालय को साक्ष्य के गुण-दोष की जांच नहीं करनी चाहिए। यदि आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, तो न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की जांच करनी होगी।

21] 8 एस सी आर।

इस मुद्दे को तय करने के लिए आरोप पत्र का एक हिस्सा बनाने वाली सामग्री कि क्या यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच है। ऐसा करते समय, न्यायालय को आरोप पत्र में सामग्री को जैसा है वैसा ही लेना पड़ता है।

21. 1967 के अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) के तहत, न्यायालय को अध्याय IV के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है।

और VI केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना। प्रक्रिया

मंजूरी प्राप्त करने के लिए धारा 45 की उप-धारा (2) में निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार हैः

" [(2) उप-धारा (1) के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी ऐसे समय के भीतर दी जाएगी जो इस पर विचार करने के बाद ही निर्धारित की जाए -

केंद्र सरकार या, जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे प्राधिकारी की रिपोर्ट जो जाँच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य की स्वतंत्र समीक्षा करें और ऐसे समय के भीतर एक सिफारिश करें

केंद्र सरकार को विहित किया जा सकता है या, जैसा भी मामला हो

राज्य सरकार हो।] "

22. 18 अप्रैल 2020 का मंजूरी का आदेश आरोप पत्र का एक हिस्सा है जिसे इन अपीलों के रिकॉर्ड में रखा गया है। पैराग्राफ 2

और मंजूरी के आदेश के 3 से पता चलता है कि हालांकि अपराध 1967 के अधिनियम की धारा 20,38 और 39 के तहत दर्ज किया गया था, 13 अप्रैल 2020 के एक पत्र द्वारा, एन. आई. ए. ने धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन अभियुक्तों में से किसी पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी नहीं मांगी थी। अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी गई थी। 1 और 2 धारा 38 और 39 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए। इसके अलावा, मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी गई थी

अभियुक्त नं. 2 धारा 13 के तहत। आदेश के पैराग्राफ 4 में धारा 45 की उप-धारा (2) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को संदर्भित किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश शामिल हैं।

विधि सचिव, साथ ही उक्त प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट। उक्त आदेश का अनुच्छेद 6 प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज करता है

केंद्र सरकार कि अभियुक्त के खिलाफ एक मामला बनाया जाता है

1967 के अधिनियम के प्रावधान, जैसा कि 13 अप्रैल 2020 के पत्र में उल्लिखित है। इस प्रकार, आज तक, दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए धारा 45 की उप-धारा (1) के तहत

मंजूरी नहीं दी गई है। 1967 के अधिनियम की धारा 20 के तहत और इसलिए, आज तक, एन. आई. ए. अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है।

धारा 20 के अधीन दंडनीय। इसलिए, धारा 43 डी की उप-धारा (5) द्वारा विचार किए गए प्रथम दृष्टया मामले के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, मामला मामला v.

दोनों अभियुक्तों के खिलाफ केवल धारा 38 और 39 के तहत विचार किया जाना आवश्यक है। मंजूरी के अभाव और इस तथ्य को देखते हुए कि एन. आई. ए. ने धारा 20 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मंजूरी भी नहीं मांगी, आरोपी के उक्त अपराध में शामिल होने का प्रथम दृष्टया मामला है

इस स्तर पर नहीं बनाया गया। जैसा कि पहले कहा गया है, धारा 43 डी की उप-धारा (5) धारा 13 पर लागू नहीं होगी, क्योंकि धारा 13 को 1967 के अधिनियम के अध्याय 3 में शामिल किया गया है। 23. जबकि हम अभियुक्त को जमानत देने के मुद्दे पर विचार करते हैं। 1 और 2, हमें के. ए. नजीब (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को भी ध्यान में रखना होगा जिसमें कहा गया है कि धारा 43 डी की उप-धारा (5) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध संविधान के भाग III के उल्लंघन के आधार पर जमानत देने से संवैधानिक न्यायालय को नहीं रोकते हैं।

24. अब हम अभियुक्तों के खिलाफ सामग्री की ओर मुड़ते हैं। 1 और आरोप पत्र में 2। आरोप पत्र के अनुच्छेद 18 में, आरोप

अभियुक्त के विरुद्ध सं। 1 और 2 निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 18.1 से 18.17 इस प्रकार हैः

" 18.1 कि, अभियुक्त ए-1, ए-2 और ए-3 ने, जानबूझकर और जानबूझकर, खुद को संबद्ध किया था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सदस्यों के रूप में काम किया था, जिसे भारत सरकार द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया गया था। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के तहत

और अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल किया गया।

18.2 कि, ए-1, ए-2 और ए-3 को जानबूझकर आरोपित किया गया

अन्य लोगों के साथ विभिन्न षड्यंत्र बैठकों में भाग लिया

सी. पी. आई. (माओवादी) के भूमिगत अंशकालिक और पेशेवर सदस्य। उन्होंने द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लिया था
सी. पी. आई. (माओवादी) के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के अग्रणी संगठन।

18.3 कि, अभियुक्त ए-1, ए-2 और ए-3 ने जानबूझकर और जानबूझकर लगभग 06 बजे मेडिकेयर प्रयोगशाला, कोट्टायिताझम, कोझिकोड शहर के सामने बैठक की थी और साजिश रची थीः 45 प्रतिबंधित आतंकवादी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 01.11.2019 पर प्रधानमंत्री

18.4 कि, अभियुक्त ए-1 के पास जानबूझकर सीपीआई (माओवादी) द्वारा समर्थित और प्रकाशित दस्तावेज थे।
प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का समर्थन करना और प्रचार करना

इसकी हिंसक चरमपंथी विचारधारा।

18.5 कि, अभियुक्त ए-2 के पास जानबूझकर सीपीआई (माओवादी) द्वारा समर्थित और प्रकाशित दस्तावेज थे। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का समर्थन करना और इसकी हिंसक चरमपंथी विचारधारा का प्रचार करना।

18.6 कि, अभियुक्त ए-3, पुलिस दल को देखकर घटनास्थल से भाग गया था और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सी. पी. आई. (माओवादी) में अपनी सदस्यता के कारण भागने में सफल रहा था। वह अभी भी फरार है।

18.7 कि ए-1 ने जानबूझकर और सी. पी. आई. (माओवादी) की सहायता करने के इरादे से इस तरह की विचारधारा को फैलाने के उद्देश्य से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन और इसकी हिंसक चरमपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाली सामग्री अपने डिजिटल उपकरणों पर रखी थी।

18.8 कि, ए-2 के घर की तलाशी के दौरान मिली सामग्री जैसे कि डिजिटल उपकरणों और प्रकाशनों के अलावा नोटिस, पर्चे, किताबें, हाथ से लिखे नोट, बैनर जानबूझकर थे और

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सी. पी. आई. (माओवादी) का समर्थन करने के लिए ए-2 द्वारा जानबूझकर कब्जा कर लिया गया।

18.9 कि, गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश के अनुसरण में

18.10 कि, सह-अभियुक्तों और अन्य लोगों के साथ साजिशों को आगे बढ़ाने के लिए, ए-2 ने जानबूझकर और जानबूझकर भारतीय संघ से कश्मीर के अलगाव का समर्थन करने वाले कपड़े के बैनर तैयार किए थे। सी. पी. आई. (माओवादी) की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करने और इस प्रकार गैरकानूनी के तहत परिभाषित गैरकानूनी गतिविधि करने के लिए

गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम। 18.11 कि ए-1 ने जानबूझकर और जानबूझकर ए-3 सहित पेशेवर सदस्यों के साथ प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सी. पी. आई. (माओवादी) की बैठकों में भाग लिया था और ए-1 द्वारा बनाए गए नोट तैयार किए थे।

18.12 कि ए-1 और ए-3 ने जानबूझकर साजिश रची।

और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सी. पी. आई. (माओवादी) के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कन्नूर जिले में ए-1 के किराए के आवास पर गुप्त बैठकें कीं।

18.13 कि अभियुक्त ए-1 ने जानबूझकर और जानबूझकर

अपने करीबी दोस्तों के बीच माओवादी विचारधारा का प्रचार किया

कट्टरपंथी बनाने और उन्हें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सी. पी. आई. (माओवादी) में भर्ती करने का इरादा।

18.14 कि, अभियुक्त ने जानबूझकर और जानबूझकर ऐसा किया था

कोझिकोड और कन्नूर में कई षड्यंत्र बैठकें (एपीटी) हुईं निषिद्ध के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए केरल के जिले

आतंकवादी संगठन सीपीआई (माओवादी)। 18.15 कि, आरोपी ए-3 और सीपीआई (माओवादी) के अन्य भूमिगत पेशेवर सदस्यों ने कट्टरपंथी बना दिया था और अन्य लोगों के अलावा ए-1 और ए-2 को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन में भर्ती किया था।

सी. पी. आई. (माओवादी) की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का इरादा।

18.16 इसलिए, एलन शुएब @मामू @मामू @विवेक

(ए-1) धारा 120 बी के तहत दंडनीय अपराध किए गए

गैरकानूनी अधिनियम की धारा 38 और 39 के अलावा भारतीय दंड संहिता

गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967।

18.17 इसलिए, थवाहा फजल @थाहा @फजल @किशन।

(ए-2) गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 13,38 और 39 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत दंडनीय अपराध किए।

25. हमने आरोप पत्र का हिस्सा बनने वाली सामग्री की जांच की है। सामग्री पुस्तकों और अन्य मुद्रित सामग्री के रूप में है जो अभियुक्त संख्या के शरीर में पाई जाती है। 1 और 2 और आरोपी नं. 2 से जब्त किए गए सभी उपकरणों पर पाई गई सामग्री। 2 . अदालत के विद्वान न्यायाधीश ने अपने विस्तृत फैसले में जब्त की गई सामग्री को पैराग्राफ 59 में 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। जहां तक मामले का संबंध है, आरोपी नं. 1 , उसके द्वारा लिए गए कंधे के थैले में कुछ संकेत पाए गए थे जब वह था

ठीक हो गया। उक्त दस्तावेज निम्नानुसार हैं:

प्रोफेसर माधव गाडगिल शीर्षक से मलयालम में एक नोटिस

1 .

समिति की रिपोर्ट नादप्पिलाकुका (कार्यान्वयन प्रोफेसर)

माधव गाडगिल रिपोर्ट)।

मलयालम में एक नोटिस "माओवादी वीटेक्केतिरे जनंगल" टाइल किया गया है।

2 .

जोगी, प्रवक्ता, भाकपा (माओवादी), पश्चिम घट्टा द्वारा "रंगथिरंगुका" (लोगों को माओवादी शिकार के खिलाफ उठना चाहिए)

प्रतिखा मेघालय समिति "(पश्चिमी घाट विशेष क्षेत्रीय समिति)।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मलयालम में एक नोटिस जिसका शीर्षक "पुथिया मुन्नेत्तंगल्कायी" है

3 .

थायारेडुकुका, (नई प्रगति के लिए तैयारी करें) अक्टूबर 28,29,30 वायनाड कलेक्टरट्रिल रप्पकल महा धरना "(वायनाड में दिन और रात का महा धरना)

कलेक्ट्रेट)।

"मालाबार मोथम 17" लिखावट वाला एक हाथ से लिखा हुआ कागज

4 .

और "छात्र" शब्द के साथ समाप्त होता है।

"रिपोर्टिंग-2" लेखन के साथ एक हस्तलिखित पत्र जो

5 .

1 से 4 तक की क्रम संख्या वाले चार पृष्ठों वाले "पोरयाम उंडकुन्नथु स्वाभाविकम" के रूप में समाप्त होता है।

6 .

"स्पाइरोपैड नंबर 4150 जानवी" का एक सर्पिल बंधा हुआ नोट पैड

कोड भाषा में कुछ लेखन के साथ।

06 पृष्ठों वाला एक लेटर पैड और हल्के नीले रंग का आवरण

7 .

"विमर्शन स्वतत्र्यम थिरिच्चु पिडिकुका" (आलोचना करने की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करें) "स्वतंत्र लोकम 2017 देशिया सेमिनार" लेखन के साथ पृष्ठ।

एक मासिक पत्रिका "मरुवक्क राष्ट्रीय संस्कारिका"

8 .

अक्टूबर 2019 खंड-4, संस्करण-10 की मासिका

50 पृष्ठ।

9 पृष्ठों वाली एक पॉकेट डायरी।

9 .

उसके घर की तलाशी से एक मोबाइल फोन जब्त किया गया।

26. लाल फाइल से दो वस्तुएँ बरामद की गईं

एड नं। 2 जब वह पकड़ा गया था। निम्नलिखित दो विषय थे -

दूसरे आरोपी की लाल प्लास्टिक की फाइल से लिया गयाः

" "इंडियाइल जथीप्रासनम नम्मुडे" शीर्षक वाली एक पुस्तक

कझचापाडू-मई दिनम 2017 "(भारत में जाति के मुद्दे, हमारे

विचार-मई दिवस 2017)-केंद्रीय समिति द्वारा प्रकाशित

सीपीआई (माओवादी)।

मलयालम भाषा में "संकट" शीर्षक वाली एक पुस्तक

जनधिपथ्यम-लेनिनोदुल्ला वयोजनंगल "(संगठनात्मक)

लोकतंत्र, लेनिन के साथ असहमति) रोजा लक्सेम्बर्ग की।

27. अभियुक्त के घर से नं. 2 , निम्नलिखित 18 वस्तुएँ जब्त की गईंः

" 1 .

2018 की एक डायरी तहवा फसल बनाम। भारत संघ [अभय एस. ओका, जे.]

"इंडियाइल जथीप्रासनम नम्मुडे कझचापाडु-मई दिनम 2017 (भारत में जाति के मुद्दे)" शीर्षक वाली एक पुस्तक। हमारे विचार-मई दिवस 2017)-भाकपा (माओवादी) की केंद्रीय समिति द्वारा प्रकाशित।

"शत्रुओं की रणनीति और हमारी जवाबी रणनीति" शीर्षक वाले पर्चे-18 पत्र। राहुल पंडिता द्वारा लिखित पुस्तक "हैलो बस्तर, इंडिया माओवादी प्रस्थानत्तिनते पारायप्पदत्त कथा" (हैलो बस्तर, भारतीय माओवादी संगठन की अनकही कहानी)।

"मुंडूर रवुन्नी-थडवरायुम" नामक एक पुस्तक पोराट्टवुम "(मुंडूर रवुन्नी-मदुला मणि द्वारा लिखित कारावास और लड़ाई।

बाहरी आवरण लेखन "त्रिवेणी स्पेशल" और अंदर लेखन के साथ एक पुस्तक। बाहरी आवरण लेखन "क्लैसमैट" और अंदर लेखन के साथ एक पुस्तक।

एक पृष्ठ पर "जम्मू कश्मीर" लिखा हुआ था। स्वतंत्र पोरट्टाथे पिंथुनाक्कुका "(जम्मू-कश्मीर के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करें)।

एक पृष्ठ के पेपर में लिखा था, "पट्टाया प्रेशनम कलेकोरेटिल ओट्टायल पोरट्टम (भूमि दस्तावेज मुद्दा, कलेक्टोरेट में एक व्यक्तिगत हड़ताल)।

"विवादमाया मरादु फ्लैट समुचायंगल पोलिचुनेकुका" शीर्षक के साथ एक मुद्रित पर्चा।

मरादु में विवादास्पद फ्लैट)।

मुद्रित सूचना "सखक्कलक्क" (साथियों के लिए) से शुरू होती है और "क्षेत्र समिति" के साथ समाप्त होती है और ए 4 आकार की सूचना "जम्मू कश्मीरिनमेलुल्ला" के साथ समाप्त होती है।

'अधनीवेशम अवसरिकुका' (जम्मू और कश्मीर के नियंत्रण को रोकें) और 'पश्चिम घाटा प्रतिहिका सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट' के साथ समाप्त होता है।

21] 8 एस सी आर।

मेखला समिति "(पश्चिमी घाट विशेष क्षेत्र) समिति (दिनांक 2018 अगस्त 6-15 संख्या। , 2019-4 अक्टूबर को मातृभूमि दैनिक के एक मुड़े हुए समाचार पत्र के अंदर रखा हुआ पाया गया।

दो लाल रंग के बैनर 180 से. मी. x 87 से. मी.

13 .

पीला रंग "जम्मू कश्मीरिंते स्वांथंत्र पोराताथे पिंथुनाक्कुका, कश्मीरीअधिनिवेश वझचा नादातुन्ना भारतीय भराना कूडथे चेरुक्कुका, ब्राह्मण्या

हिंदुत्ववादी फासीवादी भरणा वर्गंथिनेथिरे कालापम

चीयुकाः सीपीआई (माओवादी) "(जम्मू-कश्मीर के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करें, जम्मू-कश्मीर में भारत सरकार के नियंत्रण का विरोध करें, हिंदू ब्राह्मण फासीवादी सरकार के खिलाफ संघर्ष करें)।

चार्जर के साथ एक लैपटॉप,

14 .

सिम के साथ मोबाइल फोन,

15 .

दो अतिरिक्त सिम कार्ड,

16 .

17 .

तीन मेमोरी कार्ड, दो पेन ड्राइव "।

18 .

28. एफ. एस. एल. रिपोर्ट से पता चलता है कि आरोपी का सेल फोन नं. 1 "कश्मीर ब्लीडिंग" शीर्षक के साथ एक वीडियो क्लिप थी, साथ ही उसके चित्र भी थे

चे गुवेरा और माओ त्से तुंग जैसे विभिन्न कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नेताओं के साथ-साथ एक कश्मीरी नेता गिलानी का चित्र भी। कुछ पोस्टरों की प्रतियां भी मिलीं। निकाली गई पी. डी. एफ. फाइलों से पता चलता है कि इसमें

संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और विभिन्न अन्य मदों से संबंधित सामग्री। तस्वीरों में यह भी दिखाया गया है कि आरोपी नं. 1 अक्टूबर 2019 में कुर्दिस्तान सॉलिडेरिटी द्वारा आयोजित विरोध सभा में भाग लिया

नेटवर्क।

29. जहां तक मामले का संबंध है, आरोपी नं. 2 , उनके उपकरणों पर, भाकपा (माओवादी) के झंडे की तस्वीरें, भाकपा की केंद्रीय समिति के गठन से संबंधित फाइलें

(माओवादी), भाकपा (माओवादी) केंद्रीय समिति कार्यक्रम से संबंधित फाइलें, फांसी पर लटकाए गए प्रधानमंत्री की तस्वीर, माओवादी घटनाओं से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों की कतरनें मिलीं। अगाली में पी. एल. जी. ए. (माओवादी) के साथ मुठभेड़ से संबंधित एक किताब भी जब्त की गई।

30. विशेष न्यायाधीश ने कहा कि अभियुक्तों के फेस बुक खाते, ई-मेल खातों और कॉल विवरण में कोई दोषारोपण नहीं है

सबूत। उच्च न्यायालय ने यह दर्ज नहीं किया है कि उसमें कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई गई थी।

31. अभियुक्त के खिलाफ सबूत का एक और टुकड़ा नं। 2 यह है कि अपने आवास की तलाशी के दौरान, उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद और माओसिम जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। उन्होंने नारे भी लगाए जिसमें लिखा था माओवादी सदस्यों और पुलिस के बीच सशस्त्र मुठभेड़ में मारे गए बहादुर शहीदों को बधाई। आरोप पत्र का हिस्सा बनने वाली एक अन्य सामग्री यह है कि फरार आरोपी नं. 3 उस स्थान का दौरा किया जहाँ आरोपी नं. 1 पेइंग गेस्ट के रूप में रह रहा था। संबंधित सामग्री पाई गई थी

उक्त संगठन के लाभ के लिए अभियुक्त द्वारा सदस्यता शुल्क और अन्य राशियों का संग्रह।

संगठन। 33. इस प्रकार, जहाँ तक अभियुक्त सं। 1 यह कहा जा सकता है कि वह विभिन्न सामग्रियों की सॉफ्ट और हार्ड प्रतियों के कब्जे में पाया गया था

सी. पी. आई. (माओवादी) से संबंधित। उन्हें एक सभा में उपस्थित देखा गया था जो एक संगठन द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था जिसका कथित रूप से भाकपा (माओवादी) के साथ संबंध है। जहां तक मामले का संबंध है, आरोपी नं. 2 , भाकपा (माओवादी) की विभिन्न समितियों की बैठक के कार्यवृत्त पाए गए। आरोपी नं. की हिरासत में कुछ बैनर/पोस्टर पाए गए। 2 जिसके लिए धारा 13 के तहत अपराध गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए लागू किया गया है। जैसा कि पहले कहा गया है, धारा 43 डी की उप-धारा (5) धारा 13 के तहत अपराध पर लागू नहीं होती है।

34. अब सवाल यह है कि क्या आरोप पत्र का हिस्सा बनने वाली सामग्री के आधार पर, इसके लिए उचित आधार हैं

यह मानते हुए कि अभियुक्त के खिलाफ धारा 38 और 39 के तहत अपराध करने का आरोप। 1 और 2 सच है। जैसा कि पहले कहा गया था, केवल एक आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ाव धारा 38 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और केवल एक आतंकवादी संगठन को दिया गया समर्थन धारा 39 को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। संगठन और समर्थन साथ होना चाहिए

आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का इरादा। किसी दिए गए मामले में, इस तरह के इरादे का अनुमान आतंकवादी संगठन की गतिविधियों में आरोपी के खुले कृत्यों या सक्रिय भागीदारी के कृत्यों से लगाया जा सकता है जो आरोप पत्र का हिस्सा बनने वाली सामग्री से उत्पन्न होते हैं। प्रारंभिक कम उम्र में, आरोपी संख्या। 1 और 2 सीपीआई (माओवादी) द्वारा प्रचारित बातों से मोहित हो गए होंगे। इसलिए, उनके पास नरम या कठोर रूप में भाकपा (माओवादी) से संबंधित विभिन्न दस्तावेज/पुस्तकें हो सकती हैं। इस आरोप के अलावा कि कुछ तस्वीरें [2021] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह दर्शाता है कि अभियुक्त ने आयोजित विरोध/सभा में भाग लिया था

सी. पी. आई. (माओवादी) से कथित रूप से जुड़े एक संगठन द्वारा, प्रथम दृष्टया आरोप पत्र में आरोपी की सक्रिय भागीदारी को पेश करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। 1 और 2 सी. पी. आई. (माओवादी) की गतिविधियों में जिनसे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनकी ओर से आतंकवादी संगठन की गतिविधियों या आतंकवादी कृत्यों को आगे बढ़ाने का इरादा था। एक आरोप लगाया गया है कि वे आरोपी नं. 3 30 नवंबर, 2019 को। यह अपने आप में इरादे की उपस्थिति का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। लेकिन इस स्तर पर उनकी ओर से इरादे की उपस्थिति का निष्कर्ष निकालने के लिए यह पर्याप्त नहीं है जो 1967 के अधिनियम की धारा 38 और 39 का एक घटक है। इस तथ्य के अलावा कि आवश्यक इरादे या मानसिक स्थिति की उपस्थिति दिखाने के लिए उनकी ओर से खुले तौर पर किए गए कार्य आरोप पत्र से सामने नहीं आते हैं, प्रथम दृष्टया, लंबे समय तक संगठन के लिए उनका निरंतर जुड़ाव या समर्थन आरोप पत्र से सामने नहीं आता है।

35. दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र में आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने का आरोप लगाया गया है। यह एक अलग है

1967 के अधिनियम की धारा 40 के तहत एक आतंकवादी संगठन के लिए धन जुटाने का अपराध जिसमें फिर से आतंकवादी संगठन की गतिविधि को इसके आवश्यक घटक के रूप में आगे बढ़ाने का इरादा शामिल है। इस मामले में धारा 40 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है।

36. विशेष न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने जाँच के बाद

आरोप पत्र के अभिलेख पर पूरी सामग्री में कहा गया है कि दोनों अभियुक्तों की ओर से आतंकवादी संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की मंशा दिखाने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सामग्री नहीं है। उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि उसने विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है, जैसे कि 30 नवंबर 2019 को पकड़े जाने के समय आरोपी अपने मोबाइल फोन ले जा रहे थे और दस्तावेज़

जो उत्तरदाताओं के पास थे, वे जिज्ञासा या बौद्धिक खोज के कारण नहीं थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने मामले को अधिक सरल बना दिया है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री, जो आरोप पत्र का एक हिस्सा है, को लेते हुए विशेष अदालत ने दिखाने के लिए किसी भी सामग्री के अभाव के बारे में प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज किया था

अभियुक्त की ओर से भाकपा की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का इरादा

(माओवादी)। उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज नहीं किया है। वटाली (उपर्युक्त) के मामले में निर्धारित कानून को लागू करके, यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार नहीं थे कि आरोप थवाह फजल v.

अभियुक्त के विरुद्ध सं। 1 और धारा 38 और 39 के तहत अपराधों के 2 प्रथम दृष्टया सही थे। 37. अन्य प्रासंगिक कारक हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। विशेष न्यायालय अभियुक्त संख्या का विस्तार करते हुए। 1 और जमानत पर 2 ने सबसे सख्त शर्तें लगाई थीं, जैसे कि जमानत बांड प्रस्तुत करना

समान राशि के लिए दो प्रतिभूतियों के साथ आई. डी. 1 लाख, इस शर्त के साथ कि प्रतिभूओं में से एक अभियुक्त के माता-पिता में से एक होगा और दूसरा प्रतिभू अभियुक्त का रिश्तेदार होगा। स्थानीय पुलिस थाने में हर महीने के पहले शनिवार को उपस्थिति दर्ज करने की शर्त लगाई गई थी। अभियुक्त पर किसी भी तरह से संबद्ध नहीं होने या भाकपा (माओवादी) और उसके सभी संगठनों की किसी भी तरह की गतिविधियों का समर्थन नहीं करने की शर्त भी लगाई गई थी। अभियुक्त नं. 1 और 2 को विशेष न्यायालय की अनुमति के बिना केरल राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं को नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, संबंधित पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. को दोनों अभियुक्तों की गतिविधियों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया था। अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आरोपी ने किसी भी शर्त का उल्लंघन किया हो।

38. जैसा कि के. ए. नजीब (उपरोक्त) के मामले में माना गया है, कठोर

धारा 43 डी की उप-धारा (5) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए जमानत देने की संवैधानिक न्यायालय की शक्ति को नकारते नहीं हैं।

संविधान का भाग III। यह विवादित नहीं है कि अभियुक्त नं. 1 एक मनोवैज्ञानिक विकार का इलाज करा रहा है। आरोपी नं. 1 वह कानून का छात्र है। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने 92 गवाहों का हवाला दिया है। यह मानते हुए भी कि कुछ गवाहों को मुकदमे के समय हटा दिया जा सकता है, मुकदमे के उचित समय में समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आरोप भी नहीं बनाए गए हैं। धारा 38 और 39 के तहत अपराधों के लिए कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है। 1967 अधिनियम और सजा 10 साल तक बढ़ सकती है या केवल जुर्माना या दोनों के साथ। इसलिए, अभिलेख पर और उसके बाद के साक्ष्य के आधार पर

प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त को जुर्माने पर भी छोड़ा जा सकता है। जहां तक आरोपी के खिलाफ धारा 13 के तहत कथित अपराध का संबंध है। 2 , अधिकतम सजा 5 साल के कारावास या जुर्माने या दोनों के साथ है। आरोपी नं. 2 वह 570 दिनों से अधिक समय से हिरासत में है।

39. यह सच है कि विचार के अनुसार संतुष्टि को दर्ज किए बिना

धारा 43 डी की उप-धारा (5) द्वारा अभियुक्त नं. 1 उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती थी। हालांकि, हमने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के संदर्भ में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ सामग्री की जांच की है

21] 8 एस सी आर।

धारा 43 डी की उप-धारा (5)। आरोप पत्र के हिस्से के रूप में सामग्री को लेते हुए, धारा 38 और 39 के तहत दंडनीय अपराधों के दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सच नहीं प्रतीत होता है।

40. जिन निष्कर्षों को हमने ऊपर दर्ज किया है, उन्हें ध्यान में रखते हुए अभियुक्त नं. 2 अनुमति है। उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को जिस हद तक वह उसे जमानत देने के आदेश को दरकिनार करता है, रद्द कर दिया जाता है और एन. आई. ए. मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के 9 सितंबर 2020 के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। सी. आर. एल. में एर्नाकुलम। विविध। एस. सी. सं. 1,2020/एन. आई. ए. में उन्हें जमानत देने वाली याचिकाओं को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है। आरोपी नं. 2 विशेष न्यायालय के समक्ष अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

आज वह नए बांड प्रस्तुत करके जमानत की औपचारिकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि विशेष न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को बहाल कर दिया गया है।

41. भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है और आरोपी नं. 1 पुष्टि हो जाती है।

42. हम स्पष्ट करते हैं कि इस निर्णय में दर्ज टिप्पणियाँ और निष्कर्ष केवल अभियुक्तों द्वारा जमानत के लिए किए गए आवेदनों पर विचार करने के सीमित उद्देश्यों के लिए हैं। 1 और 2. विशेष न्यायालय अपनी टिप्पणियों को लागू करते समय उक्त टिप्पणियों और निष्कर्षों से प्रभावित नहीं होगा।

आवेश तैयार करने के प्रश्न पर ध्यान दें क्योंकि आवेश तैयार करने के लिए विचार अलग-अलग हैं। विशेष न्यायालय मामले की सुनवाई के दौरान इस निर्णय में की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगा। देविका गुजराल

अपी

लों का निपटारा किया गया।